न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः– 37/2023
दायर दिनांकः– 20.06.2023
निर्णय दिनांकः– 11.03.2024

उनवान

1. गोपीलाल पुत्र मियाराम गाडरी निवासी चाकुड़ी, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. नारायण लाल पुत्र भौला गाडरी निवासी चाकुड़ी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भाना पुत्र हमेर गाडरी निवासी चाकुड़ी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
2. बद्रीलाल पुत्र किशना सुथार निवासी चाकुड़ी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
3. मोहन लाल पिता रामा गाडरी निवासी चाकुड़ी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:निर्णयः–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 की तलबी की गई। हाजिर नही। बार–बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। तथा अप्रार्थी सं. 02 की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट ने वकालतनामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया । वकील श्री देवीलाल जाट द्वारा पत्थरगढ़ी की पालना किये जाने हेतु कोई एतराज नहीं किया गया। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा रावतिया पटवार हल्का रावतिया तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 718 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न [illegible] पत्थ[illegible] जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। [illegible]नर [illegible] प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्र[illegible] विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible]र हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया ग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.04.04 17:48:53 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर